[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 48/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि...........(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, विदेशी उड़ानों से इंडियन एयरलाइन्स कॉरपोशन के वायुयानों द्वारा पुनः आयात किए जाने पर जलपान कैबिन उपस्करों और खाद्य तथा पेय को तथा उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है,

परंतु -

(क) माल किसी विदेशी पत्तन या स्थान पर फलक पर नहीं लिए गए थे; और

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन उन शर्तों का पालन करने के लिए सम्बन्धित मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी के साथ वचनबंध निष्पादित करता है, जो विदेश में उठाए गए अन्य माल से माल को पृथक करने, माल के बाद वाले प्रवर्ग पर शुल्क के संदाय तथा इस निमित्त अभिलेखों के रख-रखाव और संवीक्षा के सम्बन्ध में ऐसे सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएं ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार